न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

मुन्नीराम बागड़िया
आर0 ए0 एस0

निगरानी संख्या :– 03/2016

नरेन्द्रकुमार पुत्र हनुमानाराम, जाति जाट निवासी टमकोर,तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू राजस्थान।

निगरानीकार

– बनाम–

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति अलसीसर जिला झुंझुनू।
2. जगदीश प्रसाद सरपंच ग्राम पंचायत टमकोर, पंचायत समिति अलसीसर जिला झुंझुनू।

–गैर निगरानीकारगण

निगरानी बखिलाफ आदेश/कार्यवाही नोटिस दिनांक 03.11.2015
द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति अलसीसर बाबत प्रस्ताव संख्या–5
ग्राम पंचायत टमकोर दिनांक 20.10.2014 पट्टा संख्या 33 दिनांक 30.10.2014

उपस्थिति :–
1. श्री विनोद गिल, एडवोकेट – निगरानीकार की ओर से।

–निर्णय–

दिनांक :– 04.07.2018

उक्त उनवानी निगरानी विरूद्ध आदेश/कार्यवाही नोटिस दिनांक 03.11.2015 द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति अलसीसर बाबत प्रस्ताव संख्या–5 ग्राम पंचायत टमकोर दिनांक 20.10.2014 पटटा संख्या–34 दिनांक 30.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई । संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि–गैर निगरानीकार नंबर 1 ने निगरानीकार को दिनांक 03.11.2015 को एक नोटिस स्थगन आदेश जारी करते हुये जारी किया है। उक्त नोटिस क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर जारी किया है। उक्त पट्टे बाबत पूर्व मेंजगदीश पुत्र गुंटीराम ने एक निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी तथा निगरानी के पटटे को निरस्त करने का अनुतोष मांगा था। जिसमें न्यायालय श्रीमान ने निगरानीकार का पट्टा सही मानते हुये निगरानी का निर्णय दिनांक

27.10.2015 को पारित कर दिया। उक्त जगदीश पुत्र गुंटीराम ने गांव के अन्य व्यक्तियों से साज करके एक अपील स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत करवाई। पूर्व में निगरानी जगदीश ने की थी। तथा उक्त पत्रावली में गीतादेवी, दुलाराम ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त निगरानी में निर्णय दिनांक 27.10.2015 पारित होने के पश्चात दिनांक 02.11.2015 को उक्त गीतादेवी व दुलाराम ने दो अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर स्थाई समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध है। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने दिनांक 03.11.2015 को नोटिस जारी किया है वह गलत जारी किया है, क्षेत्राधिकार से बाहर जारी किया है। निगरानीकार के पक्ष में जारी पटटा को अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सही होना माना है, तब उन्हीं व्यक्तियों द्वारा स्थाई समिति में आवेदन देना व उसके आधार पर कार्यवाही संस्थित कर नोटिस जारी करना क्षेत्राधिकार के बाहर है। निगरानीकार सुलतान व नरेन्द्र के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है तथा एक ही नोटिस दिनांक 03.11.2015 को जारी किया है जो न्याय की मंशा के विपरित है ना तो संयुक्त अपील की जा सकती तथा ना ही संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया जा सकता । गैर निगरानीकार नंबर 1 ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर नोटिस जारी किया है तथा निगरानीकार के विरूद्ध गलत रूप से कार्यवाही जारी की है। गीतादेवी व दुलाराम पंच है तथा अनिता पंचायत समिति सदस्य है। जिस सदन का सदस्य होता है वहउसमें अपीलकरने में सक्षम नहीं है। उक्त तथ्य न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरित है। निगरानी पेशकर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकार को जारी नोटिस दिनांक 03.11.2015 को पुनरीक्षण कर स्थगन आदेश को निरस्त करते हुये आदेश पारित किया जावे तथा 03.11.2015 को संस्थित कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – गैर निगरानीकार नंबर 1 ने निगरानीकार को दिनांक 03.11.2015 को एक नोटिस स्थगन आदेश जारी करते हुये जारी किया है। उक्त नोटिस क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर जारी किया है। उक्त पट्टे बाबत पूर्व मेंजगदीश पुत्र गुंटीराम ने एक निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की थी तथा निगरानी के पटटे को निरस्त करने का अनुतोष मांगा था। जिसमें न्यायालय श्रीमान

ने निगरानीकार का पट्टा सही मानते हुये निगरानी का निर्णय दिनांक 27.10.2015 को पारित कर दिया। उक्त जगदीश पुत्र गुंटीराम ने गांव के अन्य व्यक्तियों से साज करके एक अपील स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत करवाई। पूर्व में निगरानी जगदीश ने की थी। तथा उक्त पत्रावली में गीतादेवी, दुलाराम ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त निगरानी में निर्णय दिनांक 27.10.2015 पारित होने के पश्चात दिनांक 02.11.2015 को उक्त गीतादेवी व दुलाराम ने दो अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर स्थाई समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध है। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने दिनांक 03.11.2015 को नोटिस जारी किया है वह गलत जारी किया है, क्षेत्राधिकार से बाहर जारी किया है। निगरानीकार के पक्ष में जारी पटटा को अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सही होना माना है, तब उन्हीं व्यक्तियों द्वारा स्थाई समिति में आवेदन देना व उसके आधार पर कार्यवाही संस्थित कर नोटिस जारी करना क्षेत्राधिकार के बाहर है। निगरानीकार सुलतान व नरेन्द्र के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है तथा एक ही नोटिस दिनांक 03.11.2015 को जारी किया है जो न्याय की मंशा के विपरित है ना तो संयुक्त अपील की जा सकती तथा ना ही संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया जा सकता । गीतादेवी व दुलाराम पंच है तथा अनिता पंचायत समिति सदस्य है। जिस सदन का सदस्य होता है वह उसमें अपीलकरने में सक्षम नहीं है। उक्त तथ्य न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरित है। निगरानी पेशकर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकार को जारी नोटिस दिनांक 03.11.2015 को पुनरीक्षण कर स्थगन आदेश को निरस्त करते हुये आदेश पारित किया जावे तथा 03.11.2015 को संस्थित कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार सं0–1 व 2 की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नहीं हुआ। विद्वान अभिभाषक निगरानीकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत टमकोर के प्रस्ताव संख्या–5 दिनांक 20.10.2014 द्वारा जारी पट्टा संख्या–33 के विरूद्ध इस न्यायालय में पूर्व में निगरानी संख्या–2/2015 उनवानी बले खां बनाम नरेन्द्र कुमार प्रस्तुत हुई है, जिसको इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 27.10.2015 द्वारा निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी खारिज की गई है तथा ग्राम पंचायत टमकोर के प्रस्ताव सख्या–5 दिनांक 20.10.2014 द्वारा जारी पट्टा संख्या–33 दिनांक 30.10.2014 को यथावत रखा गया है। उसी पट्टे के संबंध में पुनः पंचायत समिति अलसीसर की स्थापना समिति के समक्ष अपील करना विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित

होने से पंचायत समिति अलसीसर की स्थापना समिति द्वारा निगरानीकार नरेन्द्र कुमार को नोटिस जारी करना क्षेत्राधिकार के बाहर होने से उक्त नोटिस एवं पंचायत समिति अलसीसर की स्थापना समिति द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में जारी आदेश/ कार्यवाही नोटिस कमांक 9470 (कमांक 114) दिनांक 03.11.2015 द्वारा की गई समस्त कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायाचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है। विकास अधिकारी, पचायत समिति अलसीसर का आदेश/कार्यवाही नोटिस कमांक 9470 (कमांक 114) दिनांक 03.11.2015 एवं इससे संबंधित समस्त कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त की जाती है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुन्नीराम बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।

(मुन्नीराम बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू